न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/482

अशोक कुमार सुमन पुत्र श्री कालू लाल जाति माली आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. अजोध्या बाई पुत्री भवानी शंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी पत्नी तेजमल जाति माली निवासी गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. तेजमल पुत्र रामदयाल जाति माली निवासी ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 07 किता की 3.55 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी के कब्जे काश्त व संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में भवानीशंकर उर्फ भुवाना का 1/2 संभाग से हिस्सा है । साथ ही ग्राम अरण्डखेडा में कुल 06 किता की 0.57 स्थित है जिसमें भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का संभाग से 1/3 हक व हिस्सा निहित है । वादी भवानीशंकर का सगा भतीजा है और भवानीशंकर ने अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर

अपनी उक्त वर्णित आराजियात में निहित हिस्से एवं समस्त अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.05.2014 को निष्पादित करा दी । भवानी शंकर जी का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है और उनकी मृत्यु के बाद वादी बतौर वसीयती हकदार उनका फोती इंतकाल अपने हक में खुलवाकर उनके स्थान पर दोनों खातों में अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । भवानीशंकर के एक मात्र जायन्दा पुत्री प्रतिवादिनी क्रम 1 है जिसका विवाह उनके जीवनकाल में ही हो गया था तब से ही वह अपने ससुराल निवास कर रही है । मृतक की सम्पत्ति में प्रतिवादी क्रम 1 का कोई हक अधिकार नहीं है किन्तु फिर भी राजस्व अधिकारियों ने गलत तथ्यों के आधार पर मृतक के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके द्वारा वादी को उक्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में खातेदार भुवाना व घांसी के स्थान पर वास्तविक नाम भवानी शंकर दर्ज करते हुए रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा वादग्रस्त आराजी में भवानीशंकर के हिस्से में भवानी शंकर पुत्र नन्दा के स्थान पर वादी का नाम मृतक की वसीयत दिनांक 14.05.2014 के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए खातेदार घोषित कर अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत ताकत के बल पर नहीं करे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपंजीकृत दस्तावेज वसीयत को आधार पर बनाकर अपीलान्ट वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा कोई भी काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वाद खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को भवानीशंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी के उत्तराधिकारी मानते हुए रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि उक्त वाद सहायक कलक्टर कोटा में विचाराधीन था जहॉं पर पेशी दिनांक 18.09.2017 नोट कराई गई थी और दिनांक 18.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होने पर सर्वप्रथम निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी

प्राप्त होते ही दिनांक 20.09.2017 को नकल हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर दिनांक 22.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना दावा वादी खारिज किया है । अपीलान्ट वादी भवानी शंकर उर्फ भवाना का सगा भतीजा है जिसकी सेवा से प्रसन्न होकर भवानी शंकर उर्फ भवाना ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को अपंजीकृत होने के आधार पर खारिज किया है । अपीलान्ट के द्वारा वसीयत दिनांक 14.05.2014 उप पंजीयक के यहाँ दिनांक 05.09.2016 को पंजीबद्ध करवायी थी जिसको पेश करने का कोई मौका प्रदान नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्टगण का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था फिर भी रेस्पोडेन्टगण को भवानी शंकर उर्फ भवाना का उत्तराधिकारी मानने में त्रुटि की है । तनकीयात कायम नहीं की गई है और न ही साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । रेस्पोडेन्ट मृतक भवानी शंकर उर्फ भवाना की पुत्री है । वसीयत कूटरचित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे में प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2015 के आदेश को निरस्त करने के लिए पेश किया गया था जिसकी बहस हेतु पत्रावली लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है और प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी क स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/482

अशोक कुमार सुमन पुत्र श्री कालू लाल जाति माली आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. अजोध्या बाई पुत्री भवानी शंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी पत्नी तेजमल जाति माली निवासी गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. तेजमल पुत्र रामदयाल जाति माली निवासी ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 07 किता की 3.55 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी के कब्जे काश्त व संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में भवानीशंकर उर्फ भुवाना का 1/2 संभाग से हिस्सा है । साथ ही ग्राम अरण्डखेडा में कुल 06 किता की 0.57 स्थित है जिसमें भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का संभाग से 1/3 हक व हिस्सा निहित है । वादी भवानीशंकर का सगा भतीजा है और भवानीशंकर ने अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर

अपनी उक्त वर्णित आराजियात में निहित हिस्से एवं समस्त अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.05.2014 को निष्पादित करा दी । भवानी शंकर जी का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है और उनकी मृत्यु के बाद वादी बतौर वसीयती हकदार उनका फोती इंतकाल अपने हक में खुलवाकर उनके स्थान पर दोनों खातों में अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । भवानीशंकर के एक मात्र जायन्दा पुत्री प्रतिवादिनी कम 1 है जिसका विवाह उनके जीवनकाल में ही हो गया था तब से ही वह अपने ससुराल निवास कर रही है । मृतक की सम्पत्ति में प्रतिवादी कम 1 का कोई हक अधिकार नहीं है किन्तु फिर भी राजस्व अधिकारियों ने गलत तथ्यों के आधार पर मृतक के स्थान पर प्रतिवादी कम 01 का नाम दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके द्वारा वादी को उक्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में खातेदार भुवाना व घांसी के स्थान पर वास्तविक नाम भवानी शंकर दर्ज करते हुए रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा वादग्रस्त आराजी में भवानीशंकर के हिस्से में भवानी शंकर पुत्र नन्दा के स्थान पर वादी का नाम मृतक की वसीयत दिनांक 14.05.2014 के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए खातेदार घोषित कर अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत ताकत के बल पर नहीं करे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपंजीकृत दस्तावेज वसीयत को आधार पर बनाकर अपीलान्ट वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा कोई भी काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वाद खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट कम 1 को भवानीशंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी के उत्तराधिकारी मानते हुए रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि उक्त वाद सहायक कलक्टर कोटा में विचाराधीन था जहाँ पर पेशी दिनांक 18.09.2017 नोट कराई गई थी और दिनांक 18.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होने पर सर्वप्रथम निर्णय व डिकी की जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी

प्राप्त होते ही दिनांक 20.09.2017 को नकल हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर दिनांक 22.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना दावा वादी खारिज किया है । अपीलान्ट वादी भवानी शंकर उर्फ भवाना का सगा भतीजा है जिसकी सेवा से प्रसन्न होकर भवानी शंकर उर्फ भवाना ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को अपंजीकृत होने के आधार पर खारिज किया है । अपीलान्ट के द्वारा वसीयत दिनांक 14.05.2014 उप पंजीयक के यहाँ दिनांक 05.09.2016 को पंजीबद्ध करवायी थी जिसको पेश करने का कोई मौका प्रदान नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्टगण का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था फिर भी रेस्पोडेन्टगण को भवानी शंकर उर्फ भवाना का उत्तराधिकारी मानने में त्रुटि की है । तनकीयात कायम नहीं की गई है और न ही साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । रेस्पोडेन्ट मृतक भवानी शंकर उर्फ भवाना की पुत्री है । वसीयत कूटरचित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे में प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2015 के आदेश को निरस्त करने के लिए पेश किया गया था जिसकी बहस हेतु पत्रावली लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है और प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी क स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा